भारत सरकार

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 3219

उत्तर देने की तारीख 11 मार्च, 2026 (बुधवार)

20 फाल्गुन, 1947 (शक)

प्रश्न

उत्तर पूर्वी क्षेत्र में निवेश

†3219. **श्री जयन्त बसुमतारीः**

क्या **उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने और विकास के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी) या संगठनों को यहां निवेश करने के लिए आकर्षित करने हेतु कोई कार्रवाई की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार विभिन्न कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने से पहले उनके द्वारा कुछ निवेश की मांग कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इस हेतु प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) अधिक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए राइजिंग नॉर्थईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का आयोजन किया। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए शिखर सम्मेलन में चिन्हित किए गएमुख्य क्षेत्र थे:पर्यटन और आतिथ्य; कृषि-खाद्य प्रसंस्करण और संबद्ध क्षेत्र; वस्त्र, हथकरघा और हस्तशिल्प; स्वास्थ्य देखरेख; शिक्षा और कौशल विकास; आईटी/आईटीईएस; मनोरंजन और खेल; इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्सऔर ऊर्जा। कुल मिलाकर, शिखर सम्मेलन और इसके पहले आयोजित रोडशो ने समझौता ज्ञापन (एमओयू), आशय पत्र और निजी निवेशकों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और बड़े औद्योगिक समूहों से क्वालिफाइड लीड्स के माध्यम से 4.48 लाख करोड़ रुपये की निवेश अभिरुचिप्राप्तकी। यह निवेश उत्तर पूर्वी क्षेत्र की औद्योगिक क्षमता को बढ़ाएगा औररोज़गार के अवसर भी उपलब्ध कराएगा। निवेश के लिए व्यक्त की गई अभिरुचियों को वास्तविक रूप से अर्जित करने के लिए राज्य सरकारें सभी निवेशकों के साथ सक्रिय रूप से सम्पर्क में हैं। इसके अलावा, पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों ने निवेश को सुगम बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं,

जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ सिंगल विंडो स्वीकृति, निवेश संवर्धन एजेंसी की स्थापना, भूमि बैंक बनाना, निवेश के लिए प्रोत्साहन आदि शामिल हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिक इको-सिस्टम को मज़बूत करने और निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए, भारत सरकार उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगीकरण (उन्नति) स्कीम लागू कर रही है। उन्नतिस्कीम के तहत दिए जाने वाले प्रोत्साहन हैं (i) पूंजी निवेशप्रोत्साहन; (ii) केंद्रीय पूंजी ब्याज अनुदानप्रोत्साहन; और (iii) विनिर्माण और सेवा संबद्ध प्रोत्साहन।

*****